बिहार विधान सभा वाद्वृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 24 अगस्त, 1984

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौलिक उत्तर—	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—5, 17, 18	1—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1281, 1284, 1285, 1286, 1287,	10—24
1288, 1289, 1290।	25—71
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	73—74
दैनिक निबंध	

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों और सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

(3) कार्यपालक अभियन्ता निर्मली के पत्रांक 1176, दिनांक 15 अप्रील, 1982 द्वारा श्री झा को दैनिक वेतन भोगी श्रमिक से कार्य भारित स्थापना में कार्य दर्शक के पद पर नियुक्ति की गई थी।

(4) श्री झा द्वारा कोई तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) श्री झा ने पर्यवेक्षक कोटि-1 का गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर इन्हें पर्यवेक्षक कोटि-1 के पद पर पद परिवर्तित किया गया। विभागीय स्तर पर जांचोपरान्त विभागीय पत्रांक 2565, दिनांक 13 अगस्त, 1983 द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पूर्णिया को आदेश निर्गत किया गया है कि पर्यवेक्षक कोटि के पद पर गलत प्रोन्नति के फलस्वरूप रुपया 39,100/- का अधिक भुगतान की वसूली श्री झा से की जाय। श्री झा 15 अप्रील, 1972 से कार्य दर्शक समझे जायेंगे।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री झा ने माननीय उच्च न्यायालय में सी० डब्लू० जे० सी० 468083 रीट याचिका दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक विभागीय आदेश संख्या 2565, दिनांक 13 अगस्त, 1983 को कार्यान्वित नहीं करने का आदेश दिया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

सेवा में लेने के संबंध में।

1284. श्री लालू प्रसाद यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय सच्चिदानन्द पाण्डेय, सर्वे आफिस, गुलजारबाग, पटना में प्रेस एटेन्डेन्ट के पद पर पदस्थापित थे जिनका आकस्मिक निधन दिनांक 22 नवम्बर, 1982 को हो गया;

(2) क्या यह बात सही है कि उनकी मृत्यु के पश्चात् अनुकम्पा के आधार पर उनके बड़े पुत्र श्री महेश्वर पाण्डेय ने योग्यतानुसार जरीपशोधक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विधिवत आवेदन फरवरी, 1983 में दिया था जिस पर अबतक कोई कारंवाई नहीं की गयी है और संचिका राजस्व विभाग में डेढ़ साल से लम्बित है;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकारी नीति के अनुसार मृत सरकारी सेवक के आश्रित को शीघ्र योग्यतानुसार सेवा में लिये जाने का प्रावधान है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक उक्त श्री महेश्वर पाण्डेय को सेवा में लेने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तानेश्वर आजाद—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, प्रेस अटेंडेंट, सर्वे आफिस, गुलजारबाग के पुत्र, श्री महेश्वर पाण्डेय को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव विहित प्रपत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को गत अप्रील, 1984 में प्राप्त हुआ है।

यह सही नहीं है कि प्रस्ताव डेढ़ साल से राजस्व विभाग में लम्बित है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये संकल्प संख्या 4211, दिनांक 12 अप्रील, 1984 में दिये गये अनुदेशों के मुताबिक इस विभाग में ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु एक समिति का गठन किया गया है। श्री पाण्डेय की नियुक्ति का प्रस्ताव भी समिति के समक्ष विचाराधीन है।

श्री लालू प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि जब नियम है कि कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी अपने सेवाकाल में इन्तकाल कर जाता है तो उसे अतिशय अनुकम्पा के रूप में परिवार को सहायतार्थ उनकी योग्यता के अनुसार सेवा में ले लिया जाता है और हाल ही में मंत्रिमंडल ने इसमें विलम्ब नहीं हो, इसके लिये निर्णय लिया है, तो राजस्व विभाग में कार्य कर रहे श्री सच्चिदानंद पाण्डेय एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी इन्तकाल कर गये और आज डेढ़ साल हो गये हैं, उनके पुत्र श्री महेश्वर पाण्डेय को क्यों नहीं बहाली की गयी है ?

श्री तानेश्वर आजाद—विभाग में एक समिति गठित है और वह तुरन्त इस पर अपनी बैठक करके विचार करेगी।

श्री लालू प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, यह मामला डेढ़ साल से लम्बित है और चतुर्थ श्रेणी के पद पर बहाली का सवाल है और नियम भी स्पष्ट है तो फिर इसमें कमिटी बनाने की क्या आवश्यकता है ? तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप स्पष्ट बतायें कि कितने दिनों के अन्दर एक महीने, पन्द्रह दिन, दस दिनों के अन्दर आप इसे निष्पादित करने जा रहे हैं ?

श्री लहटन चौधरी—यह मामला इसी साल अप्रील में आया है, तो इस पर कमिटी है, जितना जल्द हो सकेगा इसे समिति निर्णय करा देगी।

श्री लालू प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामला बाहर से नहीं आया है यह राजस्व विभाग का ही कर्मचारी है, इसके लिए कमिटी, एक फौरमिलिटी होनी चाहिए थी विलम्ब नहीं होना चाहिये, लेकिन डेढ़ साल विलम्ब हो गया है, उक्त गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति डांवाडोल है। साथ ही मैं सदन का ध्यान के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उक्त लड़के का विभाग के पदाधिकारी जब मिलने गया तो डांट डपट किये हैं कि सात जिन्दगी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने क्वेश्चन करवा दिया है अतः आप इसे एक महीने के अन्दर बहाल करें।

श्री लहटन चौधरी—यथाशीघ्र करवा दिया जायगा। समिति की बैठक हुई है।

श्री लालू प्रसाद यादव—यह कमिटी कोई बाहरी आदमी की नहीं है जो विलम्ब हो सकती है उसे एक महीने के अन्दर कमिटी का निर्णय लेकर नौकरी दी जाय, चूंकि इसमें कहीं कानूनी अड़चन नहीं है।

श्री लहटन चौधरी—ठीक है, उसे हम देख लेते हैं, माननीय सदस्य के कथनानुसार ही करवा दिया जायगा।

श्री लहटन चौधरी—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि डांट पड़ी तो वहीं डांट पड़ा है इसका कोई पता तो दिया नहीं है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी डांट का असर नहीं होगा और जो उनके पक्ष में होना होगा यह निश्चित रूप में होगा।

श्री लालू प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, कितने दिनों में होगा, यह तो मंत्री महोदय बता दें। टाइम बौंड कर दें।

दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।

*1285. श्री लालू प्रसाद यादव—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लौरिया प्रमंडल को वर्ष 1983-84 में 13.47 लाख रुपये ही आवंटन किये गये थे;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवंटन के विरुद्ध वर्ष 1983-84 में 47.93 लाख रुपये बगैर विभागीय अनुमति के खर्च किये गये, यदि 'हां', तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है?